समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर

निगरानी – 4764/2018/छिंदवाडा/भू.रा.

इंदूबाई बेवा नागोराव गुहे, उम्र करीब 85 वर्ष
हाल निवासी– मानेगांव, तह. सावनेर,
जिला– नागपूर (म.प्र.) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूध्द

मधुकर पिता सम्पत धोटे, उम्र करीब 50 वर्ष
निवासी– पिपला नारायणवार, तह. सौंसर,
जिला–छिंदवाडा (म.प्र.) ....उत्तरवादी

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता।

1. यह कि, उत्तरवादी द्वारा मौजा पिपला नारायणवार, प.ह.नं. 47, ख.नं. 147/2, 148 रकबा कमशः 0.686 हे. जमा 0.100 रू. हेक्टर भूमि का सीमाकंन किये जाने बाबद् आवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय सौंसर के समक्ष पेश किया जिसमें दिनांक 27/4/2018 को हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर आकर स्थल पंचनामा एवं सीमाकंन प्रतिवेदन पेश की गई है, जिसमें उल्लेख है कि, उपरोक्त वर्णित भूमि उपनिरिक्षणकर्ता एवं उनके रिश्तेदारों का हक एवं अधिकार बना हुआ है की जानकारी राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी मिलने के उपरांत राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 1992–93 से 2013–14 तथा 2014–15 से वर्तमान तक पुनरीक्षणकर्ता एवं अन्य रिश्तेदार द्वारा ज्ञानेश्वर रंगराव काले को ठेके पर दिया गया है का उल्लेख आया है, परंतु मौके पर हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक द्वारा फिल्ड बुक नही बनाई गई।

यह कि, सीमाकंन प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी द्वारा पुनरीक्षकणकर्ता के विरूध्द वादोक्त संपत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबद् आवेदन श्रीमान तहसीलदार सौंसर के समक्ष पेश किया की जानकारी पुनरीक्षणकर्ता को मिलने से पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षकण याचिका प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार/तथ्य

2. यह कि, पुनरीक्षण याचिका में वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख में उत्तरवादी द्वारा किस आधार पर और कैसे अपना नाम दर्ज कर लिया गया इस बात की जानकारी उत्तरवादी एवं उसके रिश्तेदार को नही है। उत्तरवादी द्वारा पुनरीक्षंण याचिका में वर्णित भूमि का नाप किये जाने के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4764/2018/छिंदवाडा/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभााकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 के0 गजमिये उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सौंसर जिला छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 110/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 02/05/18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सौंसर जिला छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी सौंसर जिला छिंदवाडा**	